

महत्वपूर्ण एवं खास

जिला स्तरीय शिशु संरक्षण माह का हुआ शुभारंभ



रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह के निर्देशन एवं सीएमएचओ डॉ.एस.एन.केशरी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम अंतर्गत शिशु संरक्षण माह का शुभारंभ आज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तमनार में अश्वनी पटनायक, मुकुंद मुरारी पटनायक, सरपंच सुश्री गुलापी सिदार के द्वारा बच्चों को विटामिन ए की दवा पिलाकर किया गया। इस अवसर पर जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ.बी.पी.पटेल, डीएम भावना महलवार, खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ.डी.एस.पैकरा, विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक घनश्याम प्रधान, चोलेखर सिंह पटेल, सहायक जिला टीकाकरण अधिकारी, हलधर यादव कोल्ड चैन एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तमनार के समस्त स्टाफ तथा स्थानीय गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

पदोन्नत हुए पुलिस अधिकारियों की एसपी आफिस में स्टार सरेमनी



आऊट आफ टर्न प्रमोटेड एसआई प्रवीण मिंज सहित 7 हेड कांस्टेबल को लगाया गया स्टार

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा द्वारा आऊट आफ टर्न प्रमोटेड उप निरीक्षक प्रवीण मिंज (थाना प्रभारी छाल) तथा विभागीय परीक्षा पास कर पदोन्नत हुये जिले के 07 प्रधान आरक्षकों को स्टार लगाकर पदोन्नति की शुभकार्यवाही की गई है। पदोन्नत होकर एसआई प्रवीण मिंज टीआई बने हैं, वहीं पदोन्नत होकर सहायक उप निरीक्षक बनने वालों में (1) राजेश कुमार दर्शन (2) उमा शंकर नायक (3) राजेंद्र सिंह पटेल (4) विजय कुमार गोपाल (5) हेमंत कुमार कश्यप (6) महिला प्रधान आरक्षक मंजू मिश्रा एवं (7) विसोहन चंद्रा शामिल हैं।

पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ लेने कृषकों को पीएम किसान पोर्टल में ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य

रायगढ़। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जिले के पंजीकृत समस्त कृषकों को पीएम किसान पोर्टल में ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। उप संचालक कृषि हरीश राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन द्वारा पीएम किसान योजना का लाभ सही पात्र कृषकों को देने एवं फर्जीवाड़े को रोकने हेतु ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया है। इस हेतु पीएम किसान पोर्टल पर भी ई-केवाईसी अपडेट के लिए आशान दे दिया गया है। ई-केवाईसी करवाने हेतु पंजीकृत कृषक स्वयं पीएम किसान पोर्टल में जाकर अपने आधार कार्ड नंबर का सत्यापन कर सकते हैं या लोक सेवा केन्द्र/लोक सेवा सेंटर (सीएससी)के माध्यम से भी सत्यापन कर सकते हैं। कृषक द्वारा पोर्टल में ई-केवाईसी करवाने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 है। शासन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक आधार कार्ड नंबर का सत्यापन ई-केवाईसी नहीं करवाने वाले कृषकों को पीएम किसान सम्मान निधि की आगामी किश्त की राशि प्रदाय नहीं की जाएगी।

युवती की गला घोटकर हत्या : दो आरोपी गिरफ्तार

लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे आरोपी व युवती, हत्या के बाद साथी के साथ मिलकर खेत में दफन किया था शव

रायगढ़। छाल पुलिस द्वारा ग्राम जोगडा की युवती (21 साल) की गला दबाकर हत्या के बाद उसके शव को दफन करने के मामले में दो आरोपियों की संलिप्तता पाये जाने पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। युवती के परिजन युवती के गुम होने के करीब ढाई माह बाद उसके लापता होने की रिपोर्ट थाना छाल में दर्ज कराया गया था। युवती ग्राम आरोपी कुड़ेकेला निवासी सेतराम राठिया के साथ विगत तीन वर्षों से सम्पर्क में थी। युवती के परिजन तथा गांव के कुछ लोग सेतराम राठिया द्वारा युवती की हत्या कर अपने खेत में शव को दफन करने की आशंका जताकर पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे थे। छाल प्रभारी निरीक्षक प्रवीण मिंज द्वारा एसडीएम से शव उत्खनन की अनुमति लेकर शव का उत्खनन कराया गया जिसमें युवती के परिजनों की शंका सही निकली। आरोपी सेतराम राठिया



युवती की गली दबाकर हत्या करने के बाद अपने साथी (मितान) बरतू राम राठिया के साथ शव को दफन करना कबूल किया है। युवती के परिजन दिनांक 17.02.2022 को थाना छाल में युवती के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया। परिजन बताये कि युवती कोरबा कॉलेज के परिजनों की शंका सही निकली। आरोपी सेतराम राठिया

बजे सेतराम राठिया के साथ कोरबा कॉलेज जा रही हूँ कहकर घर से निकली जो घर वापस नहीं आई। अपने रिस्तेदारी में पता करने पर भी लडकी का कोई पता नहीं चला है। परिजन बताये कि युवती का प्रेम संबंध सेतराम राठिया से विगत तीन वर्षों से होने के कारण युवती सेतराम राठिया को शादी करने के लिये बार बार कहती थी पर सेतराम राठिया टालमटोल कर शादी

करने से इंकार कर रहा था। परिजन युवती के गुम होने पर सेतराम राठिया का हाथ होने का संदेह व्यक्त किया गया था। छाल पुलिस गुम इसान दर्ज कर युवती की पतासाजी किया जा रहा था कि जांच दौरान गांव के कुछ लोग युवती के परिजन तथा पुलिस को बताये कि सेतराम राठिया को उसके मितान बरतू राम राठिया के साथ कुड़ेकेला कुंभार ढोडा जंगल सेतराम राठिया के खेत के पास गड्ढा खोदकर कोई चीज दबाते देखे थे। परिजन किसी अनहोनी की आशंका कर छाल प्रभारी को खेत के पास खनन कराने निवेदन किया गया। थाना प्रभारी द्वारा विधिवत कार्यालयिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शव का उत्खनन कराया गया जहां एक शव मिला। शव के संबंध में सेतराम राठिया से कड़ी पूछताछ पर सेतराम राठिया युवती का गला दबाकर हत्या करना और अपने साथी के साथ शव को

दफन करना स्वीकार किया। आरोपी सेतराम राठिया पिता महेश्वर राम राठिया उम्र 29 वर्ष निवासी कुड़ेकेला मुनुद पारा थाना छाल बताया कि युवती लगातार उस पर शादी का दबाव बना रही थी, दिनांक 28/11/2021 के सुबह लगभग 9:00 बजे भी दोनों के बीच शादी की बात को लेकर झगडा हुआ जिस पर गमछा से युवती का गला घोट कर उसकी हत्या कर दिया और शव को बोरा में भरकर अपने मितान बरतू राम राठिया के साथ अपनी मोटरसाइकिल पत्सरी सीजी 13 AJ-8174 में शव को लेकर कुड़ेकेला कुंभार ढोडा जंगल ले गया। खेत के पास 4-5 दिन पहले खोदे गए गड्ढे में शव को दफना कर ऊपर झाड़ियों को काटकर एवं लकड़ियों से ढक कर छिपा दिए तथा युवती के हैंड बैग, चुड़ी चप्पल, बाली का लकड़ा एवं घटना में प्रयुक्त फावड़े एवं मोटरसाइकिल को घर में छुपा कर रख

दिए। आरोपी के मेमोरेंडम कथन पर दिनांक 02/03/2022 को आरोपी के कब्जे से गवाहों के समक्ष मृतिका के अधजले हैंड बैग, चुड़ी, चप्पल, बाली को जप्त किया गया है। घटना के संबंध में मृतिका के पिता के रिपोर्ट पर थाना छाल में दर्ज अप.क्र. 77/2022 धारा 302, 201, 120(B), 34 IPC दोनों आरोपी सेतराम राठिया पिता महेश्वर राम राठिया उम्र 29 वर्ष तथा बरतू राम राठिया पिता जनक राम राठिया उम्र 29 वर्ष साकिनान कुड़ेकेला मुनुद पारा थाना छाल को आज दिनांक 03.03.2022 को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। सम्पूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी छाल निरीक्षक प्रवीण मिंज, उप निरीक्षक जवाहर राठौर, सहायक उपनिरीक्षक धनंजय सिंह नेटी, आरक्षक हर्दर पाल जगत, बसंत लकड़ा एवं गोविंद बनर्जी की सराहनीय भूमिका रही है।

लमनीपारा से शिवपुर चौक एवं राजपुर-कोड़ासिया-बहमा का सड़क निर्माण हुआ शुरू

विधायक लैलूंगा चक्रधर सिंह सिदार ने सड़क निर्माण कार्य का किया भूमिपूजन

7.90 करोड़ से होगा सड़कों का निर्माण कार्य

रायगढ़। लैलूंगा विधायक चक्रधर सिंह सिदार ने आज लैलूंगा विकासखण्ड अंतर्गत लमनीपारा से शिवपुर चौक एवं राजपुर-कोड़ासिया-बहमा मार्ग में बनने जा रही सड़क का भूमिपूजन किया। इन सड़कों के निर्माण के संबंध में जानकारी देते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारी ने बताया कि लमनीपारा से शिवपुर चौक तक लंबाई 3.55 कि.मी. मार्ग का निर्माण कार्य जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति राशि 4 करोड़ 44 लाख 70 हजार रुपए प्राप्त हुआ है। जिसके अंतर्गत 3.55 किलो मीटर लंबाई में 3.75 मीटर चौड़ाई पर डामरीकरण एवं मुड़ागांव-तारागढ़ के मध्य मध्यम पुल का निर्माण किया जाएगा। राजपुर-कोड़ासिया-बहमा मार्ग में 15 किलो मीटर का उन्नयन एव डामर नवीनीकरण



का कार्य किया जाएगा। जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति 3 करोड़ 45 लाख 81 हजार रुपये है। यह मार्ग 19.40 कि.मी.लंबाई है जिसमें से 15 कि.मी.लंबाई में डामर नवीनीकरण मार्ग के अत्यंत खराब भाग 3.40 कि.मी. को उखाड़कर उन्नयन/मजबूतीकरण किया जाएगा। जल निकासी हेतु 1200 मीटर लंबाई में आरसीसी नाली का निर्माण किया जाएगा।

मारपीट में शामिल दो नाबालिग सहित तीन गिरफ्तार

टीनएजर्स ग्रुप के मारपीट मामले में धरमजयगढ़ पुलिस की कड़ी कार्यवाही

रायगढ़। धरमजयगढ़ पुलिस द्वारा रॉड से युवक के सिर व पैर पर मारकर चोट पहुंचाने के मामले में दो विधि के साथ संघर्षरत अपचारी बालक तथा आरोपी युवक को गिरफ्तार कर बलवा सहित हत्या के प्रयास मामले में न्यायिक अभिरक्षा पर भेजा गया है। मामले में गिरफ्तार आरोपी सोनू उर्फ एहसान खान पिता असलम खान उम्र 19 साल निवासी मस्जिदपारा धरमजयगढ़ तथा उसके हम्पउम्र साथियों की लगातार झगडा मारपीट की शिकायतें मिल रही थी। दिनांक 27.02.2022 को धरमजयगढ़ थाने में अनिता सिंह राजपुत (50 वर्ष) रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक



27.02.2022 को 10.00 बजे इसका देवर का लडका कुनाल सिंह राजपुत (18 साल) अपने दो साथियों के साथ पिकनिक मनाने आमादरहा गया था। दोपहर करीब 03.30 बजे कुनाल का दोस्त विवेक सारथी घर आकर बताया कि पिकनिक मनाते समय रोशन (परिवर्तित नाम) एवं उसके साथी सोनू उर्फ एहसान खान व 2-3 लडके आकर कुनाल को पुराने रंजीश पर गाली गलौच कर राड जैसे किसी हथियार से कुनाल के पैर एवं कान के पास मारकर चोट पहुंचाया। कुनाल को धरमजयगढ़ अस्पताल में भर्ती किये हैं। घटना के संबंध में आरोपियों पर अप.क्र. 33/2022 धारा 294, 506, 323, 34 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना के बाद से आरोपीगण फरार

थे। मारपीट के आहत कुनाल राजपुत को धरमजयगढ़ से रायगढ़ और रायगढ़ से रायपुर इलाज के लिये भेजा गया। विवेचना दौरान आरोपित के मेडिकल रिपोर्ट एवं आरोपी सोनू उर्फ एहसान सहित पांच आरोपियों द्वारा एक राय होकर कुनाल राजपुत से मारपीट करना पाये जाने पर आरोपियों के विरुद्ध धारा 307, 147, 148, 149 IPC जोड़ी गई। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा तथा एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा द्वारा आदतन बदमाश, गुण्डा प्रवृत्ति के युवकों पर तत्काल कार्रवाई का निर्देश थाना प्रभारी धरमजयगढ़ को दिया गया जिसके बाद आरोपियों की पतासाजी, गिरफ्तारी के लिये पुलिस के अलग-अलग टीम जशपुर, रायगढ़ और धरमजयगढ़ के क्षेत्रों में रवाना

हुई। आरोपीगण पुलिस के बढ़ते दबाव को देखकर फरार थे। पुलिस टीम द्वारा आरोपी सोनू उर्फ एहसान खान और अपचारी बालक रोशन (परिवर्तित नाम) को कुनकुरी, जशपुर से तथा एक अपचारी बालक को धरमजयगढ़ क्षेत्र में हिरासत में लिया गया। मामले के दो आरोपी फरार हैं। धरमजयगढ़ पुलिस द्वारा आरोपी सोनू उर्फ एहसान खान को JMFC धरमजयगढ़ तथा विधि के साथ संघर्षरत दो अपचारी बालकों को किशोर न्याय बोर्ड रायगढ़ रिमांड पर भेजा गया है। फरार दोनों आरोपियों की सर्गामी से पतासाजी की जा रही है। एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा के सुपरविजन पर कार्रवाई में थाना प्रभारी धरमजयगढ़ निरीक्षक विजय पैकरा, सहायक उप निरीक्षक पुन सिंह सिदार, आरक्षक धनुंजय चंद बेहरा, पुषेन्द्र सिदार की अहम भूमिका रही है।

वार्ड के सभी छुटे हुए ओबीसी वर्ग के लोगों का बनवाएं राशन कार्ड : कलेक्टर

कलेक्टर सिंह ने ली शहर के सभी वार्ड पार्षद व जनप्रतिनिधियों की बैठक

वार्ड के विकास के लिए शहर के सभी वार्ड को सीएसआर मद से एक-एक लाख रुपए की सीमागत

शहर में लक्ष्य के अनुरूप पिछड़ा वर्ग के लोगों की राशन कार्ड बनाने सहयोग करने की अपील

रायगढ़। शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ लेने के लिए सभी के पास राशन कार्ड होना चाहिए, इसलिए विशेष अभियान चलाकर रायगढ़ नगर निगम अंतर्गत सभी वार्डों में छूटे हुए पिछड़ा वर्ग से संबंधित व्यक्तियों के राशन कार्ड बनाने का कार्य किया जाएगा। यह सभी वार्ड पार्षद, मनोनीत पार्षद, सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि के सहयोग से ही संभव होगा। उक्त बातें कलेक्टर भीम सिंह ने आज सृजन सभाकक्ष में आयोजित वार्ड पार्षद, मनोनीत पार्षद, सांसद प्रतिनिधि



व विधायक प्रतिनिधि की बैठक में कही। कलेक्टर सिंह ने कहा कि पूर्व में हुए सर्वे में पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के नामांकन और राशन कार्ड बनाने का कार्य किया गया था, लेकिन नगर निगम अंतर्गत सभी वार्डों में ओबीसी वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अंतर्गत के कई परिवारों के राशन कार्ड नहीं बन पाने की बातें सामने आ रही है। इसमें शासन का महत्वपूर्ण निदेश है कि वार्ड के सभी पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का राशन कार्ड बनना चाहिए, ताकि शासन के महत्वपूर्ण योजनाओं का उन्हें

लाभ मिल सके। इस दौरान कलेक्टर सिंह नगर निगम अंतर्गत हुए कोरोना वैक्सीनेशन में बेहतर कार्य करने के लिए सभी वार्डों को सीएसआर मद से एक-एक लाख रुपए विकास कार्य के लिए स्वीकृत करने की घोषणा की। इसी तरह वार्ड पार्षदों की मांग पर अगले वित्तीय वर्ष में भी सभी वार्डों में विकास कार्य के लिए सीएसआर मद से एक-एक लाख रुपए देने की बात कही। इस दौरान कलेक्टर सिंह ने कहा कि आप सभी पार्षदगण व जनप्रतिनिधि अपने वार्डों के बेहतर के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं। पूर्व में सभी पार्षदों ने वार्ड के लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन करने अंतर्गत सभी वार्डों में ओबीसी वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अंतर्गत के कई परिवारों के राशन कार्ड नहीं बन पाने की बातें सामने आ रही है। इसमें शासन का महत्वपूर्ण निदेश है कि वार्ड के सभी पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का राशन कार्ड बनना चाहिए, ताकि शासन के महत्वपूर्ण योजनाओं का उन्हें

जनप्रतिनिधिगण से सहयोग अपेक्षा है। बैठक के दौरान मेयर जानकी काटजू, एमआईसी सदस्य, वार्ड पार्षदों के दूसरे जिले से राशन कार्ड नाम ट्रांसफर, पात्रता अनुसार एपीएल एवं बीपीएल कार्ड बनाने, पात्रता अनुसार वार्ड के लोगों को बीपीएल राशन कार्ड के लिए फॉर्म वितरण करने व 2011 की सर्वे सूची उपलब्ध कराने की मांग की। जिस पर कलेक्टर सिंह ने सभी मांगों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए खाद्य विभाग के अधिकारी व निगम कमिश्नर एस. जयवर्धन को निर्देशित किया। इस दौरान कलेक्टर सिंह ने पात्रता अनुसार ही एपीएल और बीपीएल कार्ड बनाने और इस कार्य में वार्ड पार्षदों की सहयोग की अपील की। इससे पूर्व कमिश्नर एस.जयवर्धन ने सभी वार्डों में बने राशन कार्ड और पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के नामांकन और राशन कार्ड की संख्या की स्थिति और शासन द्वारा तय लक्ष्य की जानकारी दी। बैठक में वार्ड पार्षद, मनोनीत पार्षद सहित जनप्रतिनिधिगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

बारहवीं बोर्ड के अंग्रेजी परीक्षा संपन्न



14 हजार 297 परीक्षार्थियों में 411 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित

रायगढ़। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा कक्षा 12 वीं बोर्ड परीक्षा के तहत 4 मार्च को अंग्रेजी विषय की परीक्षा संपन्न हुई। जिले में 14 हजार 297 परीक्षार्थी संख्या दर्ज की गई थी। जिसके लिए 235 परीक्षा केन्द्र बनाए गए थे। जिसमें से 13 हजार 886 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिलाई। 411 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। जिले में कहीं भी नकल प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है। परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुआ।

आबकारी एक्ट के दो अजमानतीय मामलों में आरोपी जेल दाखिल

पुसौर के तेतला मार्ग अटल आवास के पास 48 पाव देशी प्लेन शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

स्कूटी में शराब परिवहन कर रहे युवक से 10 लीटर महुआ शराब जब्त

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन पर पुसौर पुलिस द्वारा थाना प्रभारी उप निरीक्षक गिरधारी साव के नेतृत्व में लगातार जुआ एवं अवैध शराब पर कार्रवाई की जा रही है। कल दिनांक 03.03.2022 को रात्रि गस्त दौरान पुलिस टीम द्वारा ग्राम घुघना में दो जुआ फंड पर 10 आरोपियों को जुआ खेलते पकड़ा गया था। आरोपियों से 13,650 रुपये नकदी की जप्ती कर आरोपियों पर 13 जुआ एक्ट की कार्रवाई की गई है। इसी क्रम में आज दिनांक 04.03.2022 को पुसौर पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना पर तेतला मार्ग अटल आवास के पास अवैध शराब विक्री के लिये पैदल शराब

लेकर जा रहे आरोपी प्रमोद सिंह चौहान पिता जीवन सिंह चौहान उम्र 46 वर्ष सा0 मिडमिडा बाजार पारा चौकी जूटमिल जिला रायगढ़ के पास से 48 पाव देशी प्लेन शराब कीमती 3,840 रुपये की जप्ती की गई है। वहीं आज दोपहर मुखबिर सूचना पर पुसौर बाजार चौक नाकेबंदी कर पत्सरी वाहन में शराब परिवहन कर रहे आरोपी अजय निषाद पिता रेशम लाल निषाद उम्र 29 वर्ष सा0 चांदमारी रायगढ़ को पकड़ा गया है। आरोपी से 10 लीटर महुआ शराब कीमती 1000 रुपये एवं प्लेजर स्कूटी क्र CG13-H-8469 कीमती 10000 रुपये की जप्ती की गई है। आरोपियों पर पृथक-पृथक धारा 34(2)59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर रिमांड बाद जेल वारंट प्राप्त होने पर स्टॉफ आरोपियों को जेल दाखिल करने रवाना किया गया है। शराब रेड कार्रवाई में थाना प्रभारी पुसौर उप निरीक्षक गिरधारी साव, सहायक उप निरीक्षक कमल राजपुत, आरक्षक संदीप कुमार भगत, अमर कुमार खुटे, विक्रम सिदार, प्यारे लाल साहू शामिल थे।

पालीटेक्निक में अंशकालीन व्याख्याता के लिए 15 मार्च तक आवेदन आमंत्रित

रायगढ़। किरोड़ीमल शासकीय पालीटेक्निक, रायगढ़ में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में अध्यापन कार्य हेतु मेटलर्जी इंजीनियरिंग में अंशकालीन व्याख्याता के लिए 15 मार्च 2022 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसके लिए शैक्षणिक अर्हता छ.ग.तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग पालीटेक्निक) (राजपत्रित)सेवा भर्ती नियम 2014 के अनुसार होगी। इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन नियत तिथि तक समस्त प्रमाण-पत्रों के साथ प्राचार्य, किरोड़ीमल शासकीय पालीटेक्निक, रायगढ़ में जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

चोरी के बाद पकड़े जाने के डर से आरोपी युवक घर में लगाई आग

आरोपी से चोरी के बर्तनों बरामद, आगजनी और चोरी के अपराध में आरोपी को भेजा गया रिमांड पर

रायगढ़। दिनांक 04.03.2022 को बरमकेला पुलिस द्वारा मकान में चोरी और आगजनी के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी से मकान से चोरी किया हुआ कांस के बर्तनों की जप्ती की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। घटना के संबंध में ग्राम पड़कीडीपा निवासी हीरालाल सोनी (उम्र 32 वर्ष) दिनांक 04.03.2022 को थाना बरमकेला में रिपोर्ट दर्ज कराया कि बड़े भाई राम प्रसाद सोनी के पुत्री के शादी कार्यक्रम में शामिल होने घर में ताला खगाकर



13 फरवरी 2022 को परिवार सहित रेहूमा धरमजयगढ़ गया था। दिनांक 26/02/2022 को साला पड़कीडीपा घर चोरी होने और अज्ञात व्यक्ति द्वारा आग लगा देने की जानकारी दिया। तब आकर देखा अज्ञात चोर पर से कांस का 02 नग थाली, 01 नग लोटा, 03 नग कटोरी, 02 TV (एक ब्यागडा

हुआ, एक सही) को कोई चोर चोरी कर ले गया था और चोर द्वारा घर में आग लगाने से बच्चों का 03 नग सायकल, एक सिलिंग फैन और एक टेबल फैन पूरी तरह जल गया था। अज्ञात आरोपी पर थाना बरमकेला में अप.क्र. 86/2022 धारा 457, 380,436 IPC का अपराध दर्ज कर अज्ञात आरोपी की पतासाजी में लिया गया। इसी दरम्यान मुखबिर से जानकारी मिली कि गांव का फागूलाल सिदार उर्फ फगनू नशे का आदी है, रात को गांव में घूमता रहता है। बरमकेला पुलिस द्वारा संदेही को पूर्व में 03 बार चोरी के मामलों में चालान किया गया है, मुखबिर की सूचना सही प्रतीत होने की अंदेशा पर फागूलाल सिदार को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। संदेही फागूलाल सिदार पुलिस को गुमराह करने की हर कोशिश किया पर नाकाम रहा। पुलिस की कड़ी पूछताछ पर फागूलाल सिदार गांव के मकान में चोरी करना स्वीकार किया और पकड़े जाने के डर से घर में आग लगाना बताया। आरोपी के मेमोरेंडम पर कांस की थाली, बर्तन जुमला कीमती 25,000 रुपये की जप्ती की गई है। आरोपी फागूलाल सिदार उर्फ फगनू पिता गोपाल सिदार उम्र 30 वर्ष निवासी पड़कीडीपा थाना बरमकेला को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। माल मुल्जिम की पतासाजी में थाना प्रभारी बरमकेला एल.पी. पटेल, प्रधान आरक्षक शंभू पाण्डेय, कन्हैया चौहान, नंदकुमार चौहान की अहम भूमिका रही है।